



सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र)

फरवरी-मार्च, 2021 की कार्यसूची

(खण्ड-07)

दिनांक-09 मार्च, 2021

माँग संख्या - 10

आय-व्ययक शीर्षक - ऊर्जा विभाग

125. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "ऊर्जा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 85,59,99,72,000/- (पचासी अरब उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख बहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 126-132. श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 38

आय-व्ययक शीर्षक - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

133. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,80,23,11,000/- (दो अरब अस्सी करोड़ तेईस लाख ग्यारह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 134-136. श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 18

आय-व्ययक शीर्षक - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

137. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 10,36,09,37,000/- (दस अरब छत्तीस करोड़ नौ लाख सैंतीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 138-140. श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

आय-व्ययक शीर्षक - योजना एवं विकास विभाग

141. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "योजना एवं विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 21,98,40,39,000/- (इक्कीस अरब अठ्ठानवे करोड़ चालीस लाख उन्तालीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

142-145. श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

राज कुमार सिंह


सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- 1417 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2021 ई०।


प्रति :- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भूदेव राय)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- 1417 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2021 ई०।


प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(भूदेव राय)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- 1417 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2021 ई०।

प्रति :- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भूदेव राय)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

